



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273711
CG-DL-E-22062026-273711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3157]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3157]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3286(अ).— केंद्रीय सरकार जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 जून, 2027 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस पर उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक वे क्रम संख्यांक 8 और ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एक्स.11035/25/2025-डीआर]

प्रभाकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3286(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026(8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 30st June, 2027 as the date on which the provisions of the said act, in so far as they relate to serial number 8 and the entries relating thereto in the Schedule of the said Act relating to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) shall come into force.

[F. No. X.11035/25/2025-DR]

PRABHAKAR, Jt. Secy.